

23-11-17

नकील प्रार्थी या स्वयं प्रार्थी कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थी
को बार-बार आवाजेँ दिलाई गई। प्रार्थी की और से
कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थना पत्र रिव्यु
अदम हाजरी व अदम सबूत में खारिज किया जाता
है। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा पंखी नहीं करने से खारिज
की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद वक़्त में
पाठ्यता दालिल दफ़तर है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर